



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 60/2026

मनोज कुमार पाण्डेय

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लखनऊ एवं 6 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – आशीष कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सौरभ तिवारी

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।
2. संबंधित उचित मूल्य की दुकान के कोटेदार का निधन हो चुका है। उसके पुत्र ने संबंधित शासनादेश के अंतर्गत आवेदन किया, जिसके अनुसार वह उसे लाइसेंस दिए जाने के लिए विचार किये जाने का अधिकारी था। उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। उसने अपील दायर की, जिसमें मामले को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एक नया आदेश पारित किया गया है जिसमें उपरोक्त कोटेदार के पुत्र को उचित मूल्य की दुकान चलाने का लाइसेंस प्रदान किया गया है। आरक्षण कोटा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता राशन कार्ड धारक है और उसी उचित मूल्य की दुकान से संबद्ध है। याचिकाकर्ता ग्राम प्रधान का भाई भी है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ तिवारी ने बताया, हालांकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अनभिज्ञता का बहाना किया। श्री तिवारी का आरोप है कि यह दुर्भावनापूर्ण आशय से प्रेरित एक परोक्ष वाद है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. चाहे जो भी हो, यह जनहित याचिका के रूप में कार्यवाही का विषय नहीं है। यदि कोई हेतुक और सुने जाने का अधिकार हो, तो याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है या यदि पीड़ित हो, तो विधि में विहित उपचार प्राप्त कर सकता है।

4. तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

30 जनवरी, 2026

अनुज सिंह